भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1491
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत बकाया मजदूरी

1491. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार से धनराशि के आवंटन में देरी के कारण राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी बकाया है;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार से देय राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। योजना के तहत निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।

योजना के तहत मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है। मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से प्रतिदिन वेतन भुगतान की मंजूरी जारी की जाती है, जो उचित प्रक्रियाओं के बाद राज्यों से प्राप्त निधि अंतरण आदेशों पर आधारित होती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में , पिछले वर्ष की स्वीकार्य लंबित देनदारियों , यदि कोई हों, की भारत सरकार द्वारा विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी लंबित वेतन देनदारियों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

राज्यों को चालू वित्त वर्ष (24.07.2025 की स्थिति के अनुसार) में 46,395.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 की 100% लंबित मजदूरी देनदारियां शामिल हैं। चूंकि मंत्रालय द्वारा मजदूरी के भुगतान के लिए स्वीकृति पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से दैनिक आधार पर जारी की जाती है , इसलिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद राज्यों से निधि अंतरण आदेश प्राप्त होने पर , निधि जारी करने की स्थिति दैनिक आधार पर अपडेट होती रहती है।

योजना के तहत मजदूरी घटकों के लिए लंबित देनदारियों का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार (दिनांक 24.07.2025 की स्थिति के अनुसार)विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1491 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी देयता
1	आंध्र प्रदेश	1660.9
2	अरुणाचल प्रदेश	3.12
3	असम	185.55
4	बिहार	868.8
5	छत्तीसगढ़	32.82
6	गोवा	0.35
7	गुजरात	42.03
8	हरियाणा	8.77
9	हिमाचल प्रदेश	50.91
10	जम्मू एवं कश्मीर	18.93
11	झारखंड	298.28
12	कर्नाटक	140.57
13	केरल	417.05
14	मध्य प्रदेश	211.93
15	महाराष्ट्र	348.05
16	मणिपुर	4.81
17	मेघालय	10.57
18	मिजोरम	1.09
19	नागालैंड	4.98
20	ओडिशा	81.82
21	पंजाब	261.54
22	राजस्थान	561.28
23	सिक्किम	4.71
24	तमिलनाडु	210.94

25	तेलंगाना	451.12
26	त्रिपुरा	17.92
27	उत्तर प्रदेश	917.51
28	उत्तराखंड	4
29	अंडमान और निकोबार	0
30	लक्षद्वीप	0
31	पुदुचेरी	11.38
32	लद्दाख	0.62
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
34	पश्चिम बंगाल #	3,038

पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर , किसी भी राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की मजदूरी घटक के लिए पिछले वर्षों की कोई देयता लंबित नहीं है।

पश्चिम बंगाल राज्य की लंबित देयता मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक घटक की हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी करना 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है।